बइजलास रमेश देव, आर.ए.एस, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा,

राजस्व वाद संख्या : 14/2019

निर्णय दिनांक 25.9.2019

भीखाराम पुत्र बाबूराम जाति दर्जी निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।

.........वादी

बनाम

1. तिलोकचन्द पुत्र बाबूराम जाति दर्जी निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर 2. स्टेट जरिये तहसीलदार नोखा।

..........प्रतिवादी

उपस्थित–

1. श्री धीरज बिश्नोई अधिवक्ता वादी की तरफ से
2. श्री हनुमान चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा वादी के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी एक की पूर्वज की संतान है तथा ग्राम भादला के स्थाई निवासी है। जिनकी सयुंक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भादला में स्थित चली आ रही हैं । वादी एवं प्रतिवादी की सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भादला स्थित खेत ख.नं. 1672 रकबा 0.02 हैक्टेयर, ख.नं. 1673 रकबा 8.55 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 8.57 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम संयुक्त खातेदारी अंकित चली आ रही है। वादगत कुल 8.57 हैक्टेयर भूमि मे वादी तथा प्रतिवादी के 1/2, 1/2 भूमि हक व हिस्से में आती है इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी काश्त की सहूलियत से भूमि का बाहमी विभाजन कर रखा है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे अब तक भूमि सयुंक्त खाते में स्थित चली आ रही है। काश्त की सहूलियत के हिसाब से वादी एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति से विभाजन करके अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है बाहमी विभाजन के अनुसार खेत का पूर्वी हिस्सा प्रतिवादी के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। तथा पश्चिमी हक व हिस्सा वादी के कब्जा काश्त मे स्थित चला आ रहा है। दोनो के हक व हिस्से की भूमि के बीच में कांटो की तारबन्दी की हुई है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 अपनी सयुंक्त खातेदारी भूमि पर बाहमी विभाजन के अनुसार अपने अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। ओर प्रतिवर्ष अपने हिस्से की भूमि काश्त करते आ रहें है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि सयुंक्त खाते की अंकित चली आ रही है जिसके कारण वादी को भूमि सुधार करने ट्युब वेल लगवाने, तथा ऋण लेने में कठिनाई हो रही है इसलिये वादी अपने कब्जे काश्त की भूमि का खाता एवं लगान अलग अलग करवाना चाहते है जिसके लिये यह विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने अपने कब्जे काश्त की भूमि को कड़ी मेहनत करके सुधार किया है तथा उसमें ट्यूब वेल लगाना चाहता है ओर बैंक ऋण प्राप्त करना चाहता है इसलिये प्रतिवादी सं. 1 को कई दफा भूमि का खाता एवं लगान अलग अलग करवाकर विभाजन करवाने का कहा जाता रहा है परन्तु वह हमेशा टाल मटोल करता रहा ओर कहता आ रहा है कि गांव में कैम्प लगेंगें तब सहमति से विभाजन करवा लेगें परन्तु अब तक विभाजन नही करवाया गया है इसलिये वादी अपना खाता एवं लगान का विभाजन करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है । दिनांक 08.01.2019 को वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को खाता विभाजन कराने हेतु सख्ती से कहने पर वह खाता विभाजन करवाने से स्पष्ट इन्कार हो गया। इसलिये यही तारीख बिनाय दावा एवं बिनाय मुखास्मत है जो वादी को प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व उत्पन्न हुई है। विभाजन के दावें में स्टेट लैण्ड होल्डर होने के कारण वह आवश्यक पक्षकार है इसलिये बतौर प्रतिवादीगण सं. 2 पक्षकार बनाया गया हैं । अतः दावा प्रस्तुत करके निवेदन है कि इसे निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावेः– वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी भूमि ग्राम भादला स्थित खेत ख.नं. 1672 रकबा 0.02 हैक्टेयर, ख.नं. 1673 रकबा 8.55 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 8.57 हैक्टेयर भूमि का 1/2 हिस्सा का खाता एवं लगान का विभाजन किया जाकर वादी के नाम से अलग अलग खाता एवं लगान कायम किया जाये तदनुसार राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से अलग खाता दर्ज किया जावें एवं नक्शे में अलग से तरमीम की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

लगातार ....: 2

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद सं. 14/2019

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पेशी दिनांक 25.6.2019 प्रतिवादीगण संख्या 1 स्वयं उपस्थित आये तथा वकालतनामा एवं जवाब हेतु अवसर चाहा। पेशी दिनांक 3.7.2019 को वकील श्री हनुमान चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा जवाब हेतु अवसर चाहा। पेशी दिनांक 6.8.2019 व 29.8.2019 को भी वकील प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। आज पेशी दिनांक 25.9.2019 को वकील वादी ने निवेदन किया कि वकील प्रतिवादी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इनके द्वारा मेरे का तंग व परेशान किया जा रहा है दावे को लम्बा चलाने की नियत से जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, इसलिये उनके जवाब का अवसर समाप्त किया जाकर मेरा दावा स्वीकार फरमाया जावे। जिस पर वकील प्रतिवादी ने जवाब हेतु आज भी अवसर चाहा।

निर्णय

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया, वकील उभय पक्ष की बहस के तर्को पर मनन किया जिससे वादी का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादी का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादी वादगत भूमि वाके रोही भादजा खसरा नम्बर 1672 तादादी 0.02 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1673 तादादी 8.55 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 8.57 हैक्टेयर में वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तथा उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव करवाने एवं लगान पृथ्क–पृथ्क निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादी के कब्जे काश्त के अनुसार, वादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक **25.09.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमा इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा
बईजलास रमेश देव आर.ए.एस.

भीखाराम पुत्र बाबुराम जाति दर्जी निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।

बनाम तिलोक चन्द वगैरहा

दावा बाबत विभाजन
मुकदमा नम्बर 14/2019
निर्णय दिनांक 25.09.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रुबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री धीरज बिश्नोई, मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान चौधरी तथा स्टेट की ओर से पैरोकार राज मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादी वादगत भूमि वाके रोही भादजा खसरा नम्बर 1672 तादादी 0.02 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1673 तादादी 8.55 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 8.57 हैक्टेयर में वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तथा उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव करवाने एवं लगान पृथ्क–पृथ्क निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादी के कब्जे काश्त के अनुसार, वादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें

लीज....0......मुवलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

वसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 25 माह सितम्बर सन् 2019 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner